भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2733
दिनांक 16 दिसंबर, 2025 / 25 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

कर्नाटक को बाढ़ राहत

†**2733. श्री ई.तुकाराम:**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) के अंतर्गत सहायता की मांग करते हुए प्रस्तुत किए गए बाढ़ संबंधी प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है जिसमें बचाव अभियान, तत्तकाल राहत और दीर्घकालिक पुनर्निर्माण से संबंधित प्रस्ताव शामिल हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन प्रस्तावों के लिए कोई वित्तीय सहायता अनुमोदित या जारी की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इस जांच को कब तक पूरा करने और लंबित प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय लेने का विचार है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के अनुसार,आपदा प्रबंधन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर,भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार,पहले से ही उनके पास उपलब्ध राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से राहत उपाय करती हैं। राज्य के प्रयासों को सहायता प्रदान करने के लिए,स्थापित प्रक्रिया के अनुसार,'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में,राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। संपूर्ण प्रक्रिया के लिए एनडीआरएफ/ एसडीआरएफ दिशानिर्देशों में परिकल्पित स्थापित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है, जो मंत्रालय की वेबसाइट www.ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध है।

लोक सभा अतारांकित प्र. सं. 2733 दिनांक 16.12.2025

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार,एनडीआरएफ से अतिरिक्त वित्तीय सहायता की गणना के लिए त्रि-स्तरीय प्रणाली अपनाई जाती है। सबसे पहले, एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) द्वारा मौके पर ही आकलन किया जाता है,जिसमें संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ संबंधित राज्य के अधिकारी भी शामिल होते हैं। इसके बाद आईएमसीटी की रिपोर्ट पर राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एससी-एनईसी) की उप-समिति द्वारा विचार किया जाता है,जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव करते हैं और जिसमें विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसके बाद,माननीय केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) द्वारा एससी-एनईसी की सिफारिशों पर विचार किया जाता है और उन्हें अनुमोदित किया जाता है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री,केंद्रीय कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सदस्य होते हैं। एचएलसी के अनुमोदन के बाद एनडीआरएफ से अतिरिक्त धनराशि जारी की जाती है।

राज्य के प्रभावित लोगों की सहायता के लिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 में कर्नाटक राज्य सरकार को एसडीआरएफ के तहत 1024.80 करोड़ रुपये की राशि (768.80 करोड़ रु. का केंद्रीय अंश + 256.00 करोड़ रुपये का राज्य अंश) का आवंटन किया गया है। 384.40 करोड़ रुपये प्रत्येक के केंद्रीय अंश की दोनों किश्तें क्रमशः दिनांक 18.06.2025 और 22.10.2025 को जारी कर दी गई है । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 की स्थिति के अनुसार अपने एसडीआरएफ खाते में 445.87 करोड़ रुपये का प्रारंभिक शेष होने की सूचना दी है।

हाल ही के मामले में, कर्नाटक राज्य सरकार से ज्ञापन प्राप्त होने से पहले ही, गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा दिनांक 24.11.2025 को एक आईएमसीटी गठित कर दी गई थी। आईएमसीटी से रिपोर्टे प्राप्त होने पर, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एनडीआरएफ के अंतर्गत आगे की वित्तीय सहायता पर विचार किया जाता है।

*****